रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 780] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2014/चैत्र 6, 1936
No. 780] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014/CHAITRA 6, 1936

कृषि मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014

का.आ. 910(अ).—पर्सिस्टेंट आर्गेनिक पोलुटेंट ऑन स्टाकहोम कन्वेंशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कन्वेंशन कहा गया है) 17 मई, 2004 को प्रवृत्त हुआ था और भारत ने वर्ष 2006 में उक्त कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया ;

और, माईरेक्स को कन्वेंशन के उपाबद्ध 'क' में पर्सिस्टेंट आर्गेनिक पोलुटेंट (पी.ओ.पी.) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और, माईरेक्स को कीटनाशी अधिनियम, 1968 के उपबंधों के अधीन कीटनाशी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है ;

और, रजिस्ट्रीकरण समिति ने 27-09-2013 को हुए अपने 342वें अधिवेशन में माईरेक्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए तारीख 27-09-2013 के अपने कार्यवृत्त में सिफारिश कर दी है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उप-धारा (2) और धारा 28 के साथ पठित धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि माईरेक्स के उपयोग में मनुष्य या जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य के प्रति परिसंकटमय अंतर्वलित है, निम्नलिखित आदेश करती है,अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम माईरेक्स पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश, 2014 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कोई व्यक्ति, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में माईरेक्स का विनिर्माण, तैयार, वितरण, स्टॉक, विक्रय, आयात, निर्यात, परिवहन या उपयोग नहीं करेगा/कराएगा या किसी कर्मकार द्वारा उसका उपयोग नहीं कराएगा ।

3. प्रत्येक राज्य सरकार, किसी भी रूप में माईरेक्स के उपयोग को रोकने के लिए, कीटनाशी अधिनियम, 1968 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जो वह इस आदेश को प्रवृत्त करने के लिए आवश्यक समझे । इस आदेश का कोई उल्लंघन होने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

4. पूर्वगामी पैराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति के पूर्व अनुमोदन से, माईरेक्स का अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित मात्राओं में आयात और उपयोग किया जा सकेगा ।

[फा.सं. 13032/01/2011-पी.पी.-I (2)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, 27th March, 2014

S.O. 910(E).—Whereas, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (hereinafter referred to as said Convention) came into force from 17th May, 2004 and India ratified the said convention in the year 2006;

And, whereas, Mirex has been listed as Persistent Organic Pollutants (POP) in Annex A of the Convention;

And, whereas, Mirex has not registered as an insecticide under the provision of the Insecticides Act, 1968;

And, whereas, the Registration Committee in its 342nd meeting held on 27.09.2013 has recommended in its minutes dated 27.09.2013 for banning the Mirex;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 18 read with sub-section (2) of Section 27 and Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government on being satisfied that the use of Mirex involves health hazards to human beings or animals, hereby makes the following Order namely:—

1. (1) This Order may be called the Banning of Mirex Order, 2014.
 (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. No person, by himself or by any person on his behalf, shall manufacture, formulate, distribute, stock, sell, import, export, transport or use or caused to be used by any worker, Mirex in any form.
3. Every State Government shall take necessary steps, under the Insecticides Act, 1968 or rules made there under, to prevent the use of Mirex in any form, as it considers necessary for enforcing this Order. Any violation of this Order may be dealt with in accordance with the provision of the Insecticides Act, 1968 or rules made there under.
4. Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, Mirex may be imported and used in the quantities required for research and development activities with the prior approval of the Central Insecticides Board and Registration Committee constituted under the Insecticide Act, 1968.

[F. No. 13032/01/2011-PP-I(2)]
UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014

का.आ. 911(अ).—पर्सिस्टेंट आर्गेनिक पोलुटेंट ऑन स्टाकहोम कन्वेंशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कन्वेंशन कहा गया है) 17 मई, 2004 को प्रवृत्त हुआ था और भारत ने वर्ष 2006 में उक्त कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया ;

और, हेक्जाक्लोरोबेंजेन को उक्त कन्वेंशन के उपाबद्ध 'क' में पर्सिस्टेंट आर्गेनिक पोलुटेंट (पी.ओ.पी.) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और, रजिस्ट्रीकरण समिति ने 27-09-2013 को हुए अपने 342वें अधिवेशन में हेक्जाक्लोरोबेंजेन पर प्रतिबंध लगाने के लिए तारीख 27-09-2013 के अपने कार्यवृत्त में सिफारिश कर दी है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि हेक्जाक्लोरोबेंजेन के उपयोग में मनुष्य या जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य के प्रति परिसंकटमय अंतर्वलित है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हेक्जाक्लोरोबेंजेन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश, 2014 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कोई व्यक्ति, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में हेक्जाक्लोरोबेंजेन का विनिर्माण, तैयार, वितरण, स्टॉक, विक्रय, आयात, निर्यात, परिवहन या उपयोग नहीं करेगा/कराएगा या किसी कर्मकार द्वारा उसका उपयोग नहीं कराएगा ।

3. प्रत्येक राज्य सरकार, किसी भी रूप में हेक्जाक्लोरोबेंजेन के उपयोग को रोकने के लिए, कीटनाशी अधिनियम, 1968 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जो वह इस आदेश को प्रवृत्त करने के लिए आवश्यक समझे । इस आदेश का कोई उल्लंघन होने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

4. पूर्वगामी पैराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति के पूर्व अनुमोदन से, हेक्जाक्लोरोबेंजेन का अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित मात्राओं में आयात और उपयोग किया जा सकेगा ।

[फा. सं. 13032/01/2011-पी.पी.-I (2)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, 27th March, 2014

S.O. 911(E).—Whereas, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (hereinafter referred to as said Convention) came into force from 17th May, 2004 and India ratified the said convention in the year 2006;

And, whereas, Hexachlorobenzene has been listed as Persistent Organic Pollutants (POP) in Annex A of the said Convention;

And, whereas, the Registration Committee in its 342nd meeting held on 27.09.2013 has recommended in its minutes dated 27.09.2013 for banning the Hexachlorobenzene;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government on being satisfied that the use of Hexachlorobenzene involves health hazards to human beings or animals, hereby makes the following Order namely:—

1. (1) This Order may be called the Banning of Hexachlorobenzene Order, 2014.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. No person, by himself or by any person on his behalf, shall manufacture, formulate, distribute, stock, sell, import, export, transport or use or caused to be used by any worker, Hexachlorobenzene in any form.
3. Every State Government shall take necessary steps, under the Insecticides Act, 1968 or rules made there under, to prevent the use of Hexachlorobenzene in any form, as it considers necessary for enforcing this Order. Any violation of this Order may be dealt with in accordance with the provision of the Insecticides Act, 1968 or rules made there under.
4. Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, Hexachlorobenzene may be imported and used in the quantities required for research and development activities with the prior approval of the Central Insecticides Board and Registration Committee constituted under the Insecticide Act, 1968.

[F. No. 13032/01/2011-PP-I (2)]
UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.